न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला छतरपुर

जयपाल सिंह पुत्र श्री गयाप्रसाद ठाकुर
निवासी– चितहरी तहसील–गौरीहार
जिला छतरपुर म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

गोरेलाल पुत्र श्री हल्के भुर्जी निवासी–
चितहरी, तहसील– गौरीहार, जिला
छतरपुर म.प्र. .....अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर जिला छतरपु प्रकरण क्रमांक 62/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.03.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन प्रस्तुत है कि :–

मामले के सक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, आवेदक द्वारा भूमि खसरा नं. 842 रकवा 1.160 हैक्ट. स्थित ग्राम चितहरी की भूमि का उपंजीकृत वसीयतनामा के आधार वसीयतकर्ता ब्रजलाल पिता बोड़ा के स्थान पर नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया प्रकरण पंजीकृत किया जाकर प्रकाशित की गयी। विचारण के दौरान कोई प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण में आवेदन की साक्ष्य रखी। साक्ष्य में आवेदक द्वारा मूल वसीयतनामा मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हाल की प्रमाणित खसरा बी–1 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर अपने कथन अंकित करये गये तत्पश्चात

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1399-दो/2016 जिला छतरपुर जयपाल विरूद्ध गोरेलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019 18.1.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 62/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 18-03-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-05-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 18.1.19 सदस्य	